न्यायालयः साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.-176/12</u> <u>संस्थापित दिनांक-29.05.2012</u> Filling no.235103000342012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
1— फूलवती पत्नी भज्जू उर्फ धनसिह कुशवाह उम्र 36 साल निवासी:— ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०
निवासाः— ग्राम प्राणपुर थाना चंदरा जिला अशाकनगर म०५० आरोपी

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 26.04.2012 को समय 7:30 बजे विजय स्तंभ के पास चंदेरी में रतनलाल के साथ डंडो से मारपीट कर उसकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी रामरतन कोली ने दिनांक 26.04. 2012 को फूलवती द्वारा मारपीट की रिपोर्ट की थी जो अ0 चैक क0 233/12 पर अंकित कर फरियादी का मेडिकल कराया था। एक्सरे हेतु रैफर किया गया था, एक्सरे रिपोर्ट में एम.ओ महोदय चोट में फेक्चार आना लेख किया था जो धारा 325 की परधी में आने से अपराध कायम किया गया। फरियादी ने थाना आकर जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 26.04.2012 को सुबह 8:30 बजे वह विजय स्तंभ के पास मुंगफली बेच रहा था कि सब्जी मंडी तरफ से फूलवती कुशवाह प्राणपुर की आई और पुरानी रंजिश पर से उसे एक डण्डा मारा दाहिने हाथ के पंजे में लगा, खून निकल आया, उस समय कई लोग मौजूद थे, जिन्होने घटना देखी है। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफतार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 03— अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.04.2012 को समय 7:30 बजे विजय स्तंभ के पास चंदेरी में रतनलाल के साथ डंडो से मारपीट कर उसकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 05— रतनलाल अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब १ साल 2—3 महीने पहले की है। स्वतः कहा चौथे महीने की 26 तारीख की 12 बजे की घटना है। वह घासीराम चौकीदार विजय स्तम्भ के पास बैठे हुए थे और वह मुंगफली बेच रहा था और मुंगफली की आवाज लगा रहा था, इतने में सब्जि मण्डी तरफ से फूलवती आई जो साढे 4—5 फूट का तथा मोटाई सवा इंच का डण्डा लिये थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने कडक मुंगफली के नाम से आवाज लगाई तो आरोपिया ने उसे लट्ठ मार दिया जो सीधे हाथ की छोटी अंगुली में लगा था और हाथ में फेक्चर हो गया था, बाद में और लट्ठ मारे थे जिससे उसे मुंदी चोट आई थी। मौके पर घासीराम, बजरूद्धीन मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट प्र. पी.1 चंदेरी थाने में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसकी डॉक्टरी हुई थी और एक्सरे भी हुआ था और हाथ में प्लास्टर भी चढा था।
- 06— रतन लाल अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि वह कड़क मुंगफली के नाम से मुंगफली बेचता है जो फूलवती को बुरी लगती होगी, इसी बात पर से रंजिश है। इसी बात से उसने घटना कारित की है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध फूलवती ने दिनांक 16.04.2009 को रिपोर्ट की थी जिसपर से तलबार से मारपीट का मुकदमा चल रहा है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में यह पूछे जाने पर कि उसे कितने डण्डे मारे थे, तो साक्षी ने कहा कि उसे नहीं पता कि कितने डण्डे मारे थे, किन्तु मेरे दांहिने हाथ की अंगुली में डण्डा लगा था जिससे फेक्चर हो गया था और थोड़ी देर के लिये बेहोश हो गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया फूलवती ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा वह फूलवती को परेशान करता है, इसलिये रिपोर्ट की है।
- 07— फरियादी रतनलाल अ0सा01 की बातो का समर्थन बाजूद्धीन अ0सा03 द्वारा भी उसके कथनो में किया गया है कि घटना गर्मी के समय की है, उस समय वह मुंगावली जा रहा था। फूलावती बाई ने रतनलाल को लट्ड मारा तो उसने उपर बचाव के लिये हाथ किया तो उसके हाथ में चोट आ गई और सीधे हाथ में फेक्चर हो गया था, इसके अलावा उसके सामने और कोई बात नहीं हुई। उक्त साक्षी का कहना है कि मौके पर घासीराम और वह मौजूद था, झगडा किस बात पर से हुआ इसकी जानकारी न होना व्यक्त किया। अभियोजन साक्षी घासीलाल अ0सा02 ने

अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन को उक्त साक्षी की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

08— डॉ. एम.एल.खरका अ०सा०४ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 26.04. 2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पदपर पदस्थ था और उक्त दिनांक को रतनलाल पुत्र रामलाल का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें एक छीला हुआ दांहिने हाथ की छोटी अंगुली पर नीचे की तरफ, छोटी और अनामिका दोनो अंगुली के नीचे हथेली की तरफ जिसका माप 6 सेमी था, छीला हुआ जिसके किनारे अनियमित थे और चोट क0 2 छीला हुआ घाव बांये पैर पर आगे की ओर निचले हिस्से में था। उक्त समस्त चोटो पर सुजन, दर्द एवं चोट का रंग लाल था। चोट क0 1 की प्रकृति जानने के लिये एक्सरे की सलाह दी गई थी, शेष चोट साधारण प्रकृति की थी जो उसके मेडिकल परीक्षण से 24 घंटे के अन्दर की थी, उक्त साक्षी द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि कोई व्यक्ति बल पूर्वक हाथ के बल गिरे तो चोट आना संभव है।

09— डॉ. एस.एस.छारी अ०सा०७ ने उसके कथनो में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 27.04.2012 को आहत रतनलाल का एक्सरे परीक्षण किया था और एक्सरे रिपोर्ट क0 384 के अनुसार आहत के दांहिने हाथ की पांचवी मेटाकार्पल हड्डी में तथा दांहिने हाथ की झिंगली अंगुली के प्रोसिमल फेलेक्स में अस्थिभंग पाया था। उक्त साक्षी के द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी. ७ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि प्राथमिक उपचार रैफर करने वाले चिकित्सक द्वारा ही किया जाता है। स्वतः कहा कि यदि प्राथमिक उपचार किसी अन्य डॉक्टर के द्वारा किया जाए और ड्यूटी बदलने के कारण रैफर किसी अन्य डॉक्टर द्वारा किया जा सकता हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति से जा रहा हो और परिस्थितवश फिसलकर दांहिने हाथ के बल किसी सख्त धरातल पर बल पूर्वक गिरता है तो प्र.पी. ७ में वर्णित चोट आ सकती है।

10— अभियोजन साक्ष्य में फरियादी रतनलाल अ०सा०1 के कथन प्रतिपरीक्षण में भी इस तथ्य पर स्थिर रहे है कि अभियुक्त फूलवती बाई द्वारा उसकी डण्डे से मारपीट कर सीधे हाथ की छोटी अंगुली में फेक्चर कारित किया। फरियादी रतनलाल की उक्त साक्ष्य का समर्थन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बाजुद्धीन अ०सा०३ ने भी किया है आहत रतनलाल अ०सा०1 को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ. एम.एल.खरका अ०सा०4 एवं डॉ. एस.एस.छारी अ०सा०७ की साक्ष्य से भी होता है। म०प्र० शासन बनाम हमीम खांन 1999 "2" जेएलजेपी—310 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—176 / 12 Filling no.235103000342012

- 11— फरियादी रतनलाल अ०सा०1, बाजुद्धीन अ०सा०3 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है तथा रतनलाल अ०सा०1 के कथनो की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटो का समर्थन डॉ. एम.एल.खरका अ०सा०४ एवं डॉ. एस.एस. छारी अ०सा०७ के कथनो से भी होता है। अभिलेख पर आहत रतनलाल एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बडे विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी रतनलाल के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है।
- 12— जहाँ तक अभियुक्त द्वारा स्वेच्छ्या उपरोक्त उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानती थी या यह विश्वास रखने का कारण रखती थी कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः साक्षीगण के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 26.04.2012 को समय 7:30 बजे विजय स्तंभ के पास चंदेरी में रतनलाल के साथ डंडो से मारपीट कर उसकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 13— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

<u>पुनश्चः</u>—

14— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
फूलवती	325	6 माह	500/-	15 दिन

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—176/12 Filling no.235103000342012

- 15— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 16- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।
- 17- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0